

2020/00007
मृतक गुलाब कंवर बनाम सरकार


अपील संख्या : 20/07

4.01.2020

पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित ।

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत विद्वान् जिला कलक्टर बून्दी के द्वारा नियम 17 (4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत पारित निर्णय से अप्रसन्न होकर पेश की गई है । नियम 17 (4) उपनिवेशन अधिनियम में पारित निर्णय के खिलाफ अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत ही पेश की जाती है और राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसार जिला कलक्टर के द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए लौटाई जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जेठानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा